न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 19/25 GCMS NO 2025/27

1. राजाराम
2. रिन्कू पुत्रान तुलसी
3. गुडडी
4. माया
5. रेखा
6. रामनरी
7. लाली उर्फ अनीता पुत्रीयान तुलसी
8. नरोती
9. मनोहरी पुत्रान मोसरिया
10. भोती पुत्री घसीडा
11. विजय पुत्र नत्थू
12. किशन पुत्र नत्थू
13. माया पुत्री नत्थू
14. मीना पुत्री नत्थू
15. प्रेम पत्नि नत्थू
16. मीनू पुत्री नत्थू सभी जातियान बैरवा निवासीयान सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. राजू
3. सुरेश पुत्रान झीत्या
4. किशनवाई
5. गुडडी पुत्रियान झीत्या
6. द्वारिका
7. रामावतार पुत्रान हरि
8. हेमा पुत्री हरि
9. उगन्ती पत्नि हरि सभी जातियान बैरवा निवासीयान सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 41/24 निर्णय दिनांक 15.1.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री अब्दुल लतीफ

अभिभाषक रैस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल

दिनांक 18.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 22 विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.1.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा पेश की है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण द्वारा दावा घोषणा खातेदारी ,स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,188 व 53 आर टी एक्ट का पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण जरिये बकालतन उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि मौसरिया पुत्र लोहरे ,तुलसीराम पुत्र पिल्लू जो वादीगण/अप्रार्थीगण के पिता रहे है के द्वारा घोषणा खातेदारी व बंटवारा वाद प्रतिवादी झीत्या पुत्र पांच्या के विरूद्व पेश किया था और उस वाद मे घसीडा पुत्र विरम्या का आराजी ख0न0 71,682,445 स्थित ग्राम सपोटरा मे कोई हित हक हिस्सा नही होना पिता वादीगण मोसरिया व तुलसीराम ने दर्ज किया था। पूर्व वाद मोसरिया वगै0 बनाम झीत्या वगै0 वाद संख्या 176/1974 था। जिसका निर्णय वेरूहे राजीनामा दिनांक 18.4.75 का हुआ और राजीनामा के मुताबिक मौसरिया वगै0 का वाद अस्वीकार कर खारिज किया गया था। राजीनामा अनुसार मौसरिया व तुलसीराम द्वारा आराजी ख0न0 71 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा , खसरा न0 682 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा व खसरा न0 445 रकबा 5 विस्वा सम्पूर्ण पर कब्जा प्रतिवादी झीत्या को दिया गया और मौसरिया व तुलसीराम द्वारा भविष्य मे भी झीत्या का कब्जा एवं खाता रहेगा और वादीगण मौसरिया वगै0 का इन आराजीयात से कोई ताल्लुक व हक नही होना औरा राजीनामा अनुसार वादीगण का इन आराजीयात मे कोई झगडा बाकी नही रहा है। यह राजीनामा न्यायालय मे प्रस्तुत होकर उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा तस्दीक किया गया और राजीनामां अनुसार दावा खारिज किया गया। वादीगण का मुताबिक पूर्व वाद पत्र राजीनामा अनुसार कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध विवादित आराजीयात से नही रहा है ना ही वादीगण राजाराम वगै0 का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त रहा है। यह आराजीयात जिनके नवीन खसरा न0 71/1,71/2,71/3,360,330 बनाये गये है, इन जमीनो पर कब्जा प्रतिवादीगण ओमप्रकाश वगै0 का है एवं खातेदारी अधिकार प्रतिवादी ओमप्रकाश वगै0 का है और घसीडा के वारिसान भी पूर्व वाद के तथ्यो से व राजीनामा से कानूनन बाध्य है ,पाबंद है और घसीडा की पूर्ण जानकारी मे यह पूर्व वाद की कार्यवाही रही है। इस प्रकार उक्त प्रकरण मे रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू होता है। इस आधार पर वादीगण इस प्रकरण मे कोई सहायता पाने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण ओमप्रकाश वगै0 का पिता झीत्या के समय से ही तन्हा कब्जा दिनांक 18.4.75 के दिवस एवं राजीनामा अनुसार दिनांक 13.12.74 के दिवस से चला आ रहा है। वादीगण के हक एवं हकूक समाप्त हो जाने के कारण वादीगण इस वाद मे किसी प्रकार की कोई सहायत प्राप्त करने के अधिकारी नही है। दावा वादीगण वार्ड वाई लॉ है। इस प्रकार वादीगण का वाद पत्र रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने से वाद पत्र खारिज फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होक अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से विश्लेषण न कर निर्णय करने मे भूल की है। अदालत मातहत ने कानून के प्रावधानो को मध्ये नजर न रखकर निर्णय पारित करने मे भूल की है। अदालत मातहत ने धारा 11 सीपीसी के प्रावधानो को ध्यान मे न रखते हुए निर्णय करने मे भूल की है। पूर्व मे वादीगण के पिता मौसरिया एवं तुलसीराम द्वारा किये गये राजीनामा से पाबंद नही है क्योकि उक्त आराजी पुश्तैनी थी। मौसरिया एवं तुलसीराम की स्वःअर्जित आराजी नही थी इसलिए उक्त आराजी पुश्तैनी होने से उक्त आराजी मे हम वादीगण का नोशनल शेयर होने से मौसरिया एवं तुलसी को राजीनामा करने का कोई कानूनी हक नही था। राजीनामा मौसरिया एवं तुलसीराम द्वारा नही किया गया था जिस पर अदालत मातहत को साक्ष्य लेकर ही तय करना चाहिए था। पूर्व मे राजीनामा के आधार पर तय हुए दावे के निर्णय की अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे कर रखी है। पूर्व मे दावे मे न तो तनकीयात कायम की गई ना ही दावा डिक्री हुआ ऐसी स्थिति मे रेसज्यूडिकेटा के प्रावधान लागू नही होते है। पूर्व के दावा एवं दावा हाजा मे पक्षकार अलग अलग है इसलिए रेसज्यूडिकेटा का प्रावधान लागू नही होते है। फिर भी अदालत मातहत ने दावा खारिज करने मे भूल की है। पूर्व का राजीनामा छल कपट पूर्ण तरीके से हुआ था जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में लंबित होने से पूर्व न्याय का सिद्वान्त लागू नही होता है इस प्रकार अदालत मातहत ने दावा खारिज करने मे भूल की है। पूर्व के वाद मे विवाधक कायम नही हुए थे ना ही कोई साक्ष्य लेखबद्व नही की गई ऐसी स्थिति मे पूर्व मे कोई मेरिट पर निर्णय भी नही हुआ था ऐसी स्थिति मे दावा हाजा मे पूर्व न्याय का सिद्वान्त लागू नही होता है। पिछले दावा व दावा हाजा मे पक्षकार भी अलग अलग है घसीडा या उसके वारिसान उस दावा मे पक्षकार नही थे। विवादित आराजीयात मौज्या के समय की पुश्तैनी है। और कानूनन पुश्तैनी जायदाद के संबंध मे राजीनामा उसकी जिवित संतान के बिना सहमति के नही हो सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरो का अदालत मातहत ने कोई विवेचन अपने निर्णय मे नही किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का बहस के दौरान कथन रहा कि विवादित आराजीयात के बाबत न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के यहॉ पूर्व वाद मोसरिया वगै0 बनाम झीत्या वगै0 वाद संख्या 176/1974 था। जिसका निर्णय वेरूऐ राजीनामा दिनांक 18.4.75 का हुआ और राजीनामा के मुताबिक मौसरिया वगै0 का वाद अस्वीकार कर खारिज किया गया था। राजीनामा अनुसार मौसरिया व तुलसीराम द्वारा आराजी ख0न0 71 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा , खसरा न0 682 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा व खसरा न0 445 रकबा 5 विस्वा सम्पूर्ण पर कब्जा प्रतिवादी झीत्या को दिया गया और मौसरिया व तुलसीराम द्वारा भविष्य मे भी झीत्या का कब्जा एवं खाता रहेगा और वादीगण मौसरिया वगै0 का इन आराजीयात से कोई ताल्लुक व वास्ता नही होना औरा राजीनामा अनुसार वादीगण का इन आराजीयात मे कोई झगडा बाकी नही रहा है। पक्षकारान ने राजीनामा न्यायालय मे प्रस्तुत होकर उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त राजीनामा अनुसार दावा खारिज किया गया। वादीगण का मुताबिक पूर्व वाद पत्र राजीनामा अनुसार कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध विवादित आराजीयात से नही रहा है ना ही वादीगण राजाराम वगै0 का विवादित आराजीयात पर

राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कब्जा काश्त रहा है। यह आराजीयात जिनके नवीन खसरा न0 71/1,71/2,71/3,360,330 बनाये गये है, इन जमीनो पर कब्जा प्रतिवादीगण ओमप्रकाश वगै0 का है एवं खातेदारी अधिकार प्रतिवादी ओमप्रकाश वगै0 का है और घसीडा के वारिसान भी पूर्व वाद के तथ्यो से व राजीनामा से कानूनन बाध्य है सबंद है और घसीडा की पूर्ण जानकारी मे यह पूर्व वाद की कार्यवाही रही है। इस प्रकार उक्त प्रकरण मे रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से 11 सीपीसी के प्रावधानो का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट/वादीगण के वाद मे पूर्व न्याय का सिद्वान्त लागू होता है। जिसकी विवेचन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से वादीगण का वाद पत्र रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण एवं पूर्व न्याय का सिद्वान्त लागू होने से विधि अनुसार सही रूप से खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात के बाबत वादीगण के पितागण एवं पितामह के द्वारा उप जिला कलेक्टर करौली के यहॉ वाद संख्या 176/74 पेश किया गया था। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 13.12.74 को आपसी सहमति से राजीनामा हुआ है जिसे वादीगण के अधिवक्ता एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीक किये जाने पर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया गया है। जिसके विरूद्व अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे अपील संख्या 14/25 प्रस्तुत की गई है। जिसमे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली की मिसल न0 176/74 मे उपलब्ध राजीनामा दिनांक 13.12.74 से होती है। जब विवादित आराजीयात के बाबत पूर्व मे न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है तो वादीगण को पुनः उसी आराजीयात के बाबत वाद पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नही रहता है। विवादित आराजीयात के बाबत पूर्व मे अंतिम निर्णय उभयपक्ष की उपस्थिति मे हुआ है। तो पुनः उसी आराजीयात के लिए वाद प्रस्तुत किया जाना धारा 11 सीपीसी से बाधित होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से धारा 11 सीपीसी के प्रावधानो के तहत ही प्रतिवादीगण का धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के प्रकरण संख्या 41/24 मे पारित निर्णय दिनांक 15.1.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:06 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner